

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
सं० 783/2013/181(120)/XXVII(8)/2008  
दिनांक: देहरादून :: 03 जून 2013  
पुलिस

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

**उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2013**

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2013 है।

नियम 11 का संशोधन 2. (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।  
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005, जिसे यहाँ आगे "मूल नियम" कहा गया है, के नियम 11 में :-

(क) उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रम संख्या 3 पर चौथे स्तम्भ में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्-

परन्तु यह कि यदि किसी माह में देय कर शून्य है तो ब्यौहारी ऐसी सूचना प्ररूप-6(क) में उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक दाखिल करेगा।

(ख) वर्तमान उपनियम (3) संशोधित किया जायेगा और संशोधित उपनियम निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा-

(3) यदि सावधिक विवरणी उपनियम (1) में विहित समय के अन्दर दाखिल नहीं की जाती है तो ब्यौहारी अथवा व्यक्ति निम्नलिखित रीति से गणना करके विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा-

1(अ). उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रमांक 1 पर वर्गीकृत ब्यौहारियों अथवा व्यक्तियों से भिन्न के लिये-

सावधिक विवरणी के वास्तविक जमा की तारीख तक अथवा सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष की वार्षिक विवरणी के वास्तविक जमा की तारीख तक अथवा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण किये जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक सप्ताह के विलम्ब अथवा उसके भाग के लिये 100 रूपये।

1(ब). उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रमांक 1 पर वर्णित ब्यौहारियों अथवा व्यक्तियों के लिये-

सावधिक विवरणी के वास्तविक जमा की तारीख तक अथवा सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष की वार्षिक विवरणी के वास्तविक जमा की तारीख तक अथवा

3887  
417113  
विधि  
कार्यवाही  
अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष के करनिर्धारण किये जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, एक सप्ताह के विलम्ब अथवा उसके भाग के लिये 200 रुपये।

परन्तु यह कि, विवरणी विलम्ब से दाखिल करने के लिये विलम्ब शुल्क के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन देय कर, समाधान राशि अथवा स्रोत पर कटौती किये गये कर को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर ब्यौहारी अथवा व्यक्ति को ब्याज की देयता से मुक्त नहीं करेंगे तथापि उस मामले में, जहाँ समय बढ़ाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी है और विहित विलम्ब शुल्क जमा कर दिया गया है, वहाँ विलम्ब से विवरणी दाखिल करने के संबंध में धारा 58 के अर्थदण्ड संबंधी उपबन्ध तथा धारा 24 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अनन्तिम करनिर्धारण संबंधी उपबन्ध आकर्षित नहीं होंगे।

(ग) वर्तमान उपनियम (8) संशोधित किया जायेगा तथा संशोधित उपनियम निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा—

(8) यदि वार्षिक विवरणी उपनियम (6) में विहित समय के अन्दर दाखिल नहीं की जाती है तो ब्यौहारी अथवा व्यक्ति निम्नलिखित रीति से गणना करके विलम्ब शुल्क भुगतान करेगा—

वार्षिक विवरणी के वास्तविक जमा करने की तारीख तक अथवा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के करनिर्धारण किये जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, एक सप्ताह के विलम्ब अथवा उसके भाग के लिये 200 रुपये।

नियम 22 में  
उपनियम (12) का  
जोड़ा जाना

3. "मूल नियमावली" के नियम 22 के वर्तमान उपनियम (11) के बाद निम्नलिखित नया उपनियम (12) जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

(12) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी कमिश्नर ऐसी तारीख से जिसे वह उचित समझे, सभी व्यवहारियों के लिए "मान्यता प्रमाण पत्र" का आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर सकता है और ई-जनरेटेड "मान्यता प्रमाण पत्र" जारी करने की प्रक्रिया लागू कर सकता है और इलैक्ट्रॉनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है तथा शासन को सूचित करते हुए प्रार्थना पत्र के प्रारूप और "मान्यता प्रमाण पत्र" के प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर सकता है।

इस नियम के अध्याय VI में किसी बात के होते हुए यदि किसी ब्यौहारी को आवंटित टिन स्थगित कर दिया जाता है अथवा निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसे ब्यौहारी को जारी किया गया मान्यता प्रमाण पत्र उस तारीख से, जिस तारीख से टिन का स्थगन अथवा निरस्तीकरण प्रभावी किया गया है, स्थगित अथवा निरस्त समझा जायेगा।



4. "मूल नियमावली" के नियम 23 में-

(क) विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(2) कोई ब्यौहारी, जिसके पास "मान्यता प्रमाण पत्र" हो और जो धारा 4 की उपधारा (7) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रियायत लेना चाहता हो, उस करनिर्धारक प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में उसके व्यापार का मुख्य स्थान हो, घोषणा का प्रपत्र जारी करने के लिए आवेदन देगा। करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा घोषणा का प्रपत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी द्वारा ₹ 5 प्रति प्रपत्र की दर से फीस का भुगतान न कर दिया गया हो। आवेदन पर नियम 7 के उपनियम (1) में उल्लिखित किसी भी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(ख) विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(3) यदि करनिर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उपनियम (2) के अन्तर्गत की गयी घोषणा पत्रों की मांग सही एवं उचित है, और सभी विवरणियाँ, देय कर व अन्य देयों के जमा के सबूत अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दाखिल कर दिये गये हैं और ऐसी रियायती दर से खरीद अथवा बिक्री के सम्यवहार सावधिक विवरणियों में घोषित कर दिये गये हैं, वह ऐसी संख्या में, जितना वह उचित समझे, प्रपत्र जारी कर सकता है अथवा उनका ई-जनरेशन अनुमन्य कर सकता है।

परन्तु यह कि, ऐसा कोई प्रपत्र सादा (blank) जारी नहीं किया जायेगा और यह प्रपत्र ब्यौहारी द्वारा प्रपत्र 17(XI) (सावधिक विवरणी के अनुलग्नक 17(XI) के प्रारूप) में घोषित विक्रेतावार खरीद अथवा बिक्री के सम्यवहार के आधार पर जारी किये जायेंगे।

परन्तु यह और कि, कमिश्नर घोषणा पत्र जारी करने अथवा ई-जनरेट करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है और राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत, ऐसी शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जिसमें चालू अथवा पूर्व वर्षों के प्रपत्रों को जारी किये जाने की समय-सीमा का अवधारण भी शामिल है, जैसा वह उचित समझे, लगा सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो, शासन को सूचित करते हुए, घोषणा पत्र के प्रारूप में अथवा सावधिक विवरणियों के अनुलग्नक 17(XI) के प्रारूप में संशोधन कर सकता है।

(ग) विद्यमान उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(4) विक्रेता ब्यौहारी को घोषणा प्रपत्र देने से पूर्व क्रेता ब्यौहारी या नियम 7 के

उपनियम (1) में उल्लिखित कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि प्रपत्र पर सभी अपेक्षित ब्योरे भरे हुए हैं और उस पर हस्ताक्षर करेगा। क्रेता ब्योहारी प्रपत्र का प्रतिपण अपने पास रख लेगा और दोनों अन्य भाग, जिस पर "मूल" और "दूसरी प्रति" अंकित होगा, विक्रेता ब्योहारी को दे दिये जायेंगे।

(घ) विद्यमान उपनियम (18) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

(18) इस नियम में किसी बात के होते हुए कमिश्नर, मैनुअली भरे हुए प्रपत्र XI को जारी किये जाने की प्रक्रिया को, ऐसी तारीख से अथवा ऐसी तिमाही से जैसा वह उचित समझे, रोक कर सकता है और प्रपत्र XI हेतु ऑनलाईन प्रार्थना दाखिल करने तथा ई-जनरेट/डाऊनलोड किये गये प्रपत्र XI जारी करने की व्यवस्था लागू कर सकता है अथवा विभागीय वैबसाईट से प्रपत्र XI ब्योहारी को स्वयं ई-जनरेट/डाऊनलोड करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। प्रपत्रों को ऑनलाईन जनरेट/डाऊनलोड करके जारी किये जाने अथवा ब्योहारियों द्वारा स्वयं ई-जनरेट/डाऊनलोड किया जाना अनुमन्य किये जाने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(राकेश शर्मा)  
प्रमुख सचिव।

सं० 783/2013/181(120)/XXVII(8)/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,  
(सौजन्या)  
अपर सचिव।



In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 783/2013/181(120)/XXVII(8)/2008 dated 03 June, 2013 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Vitta Anubhag-8**  
**No. 783/2013/181(120)/XXVII(8)/2008**  
**Dehradun : Dated: 03 June, 2013**

**Notification**

In exercise of powers conferred by section 71 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, The Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005.

**The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2013**

- Short title and Commencement** 1. (1) These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2013.  
(2) They shall come into force at once.
- Amendment in Rule 11** 2. In rule 11 of The Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005, hereinafter referred to as the "Principal Rules"-  
(A), In the fourth column at serial no. 3 of the table as given in sub-rule (1), the following proviso shall be added; namely-  
Provided that in case the tax due for a month is NIL the dealer shall submit such information in Form-VI(A) up to 25<sup>th</sup> of the succeeding month.  
(B) The existing sub-rule(3), shall be amended, and the amended sub-rule shall be read as follows:-  
(3) If periodical return is not filed within the time prescribed in sub-rule(1), the dealer or person, shall pay late fee by computing in the following manner-  
**1(a).** For dealers or persons, other than those classified at sl.no. 1, of the table as given in sub-rule (1) :  
Rs. 100 for delay of a week or part thereof, till the date of actual submission of such periodical return or till the date of actual submission of annual return for the relating assessment year or till the date of assessment for the relating assessment year, whichever is earlier.  
**1(b).** For dealers or persons classified at sl.no. 1, of the table as given in sub-rule (1) :  
Rs. 200 for delay of a week or part thereof, till the date of actual submission of such periodical return or till the date of actual submission of annual return for the relating assessment year or till the date of assessment for the relating assessment year, whichever

